

# प्रेस नोट दिनांक 25.03.2024

## जनपद बरेली।

### चुनाव के दृष्टिगत बरेली पुलिस की तीसरी पिट एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही।

**मादक पदार्थ माफिया एवं स्मैक तस्कर "नदीम उर्फ मुन्ना" पिट एनडीपीएस एक्ट में जिला कारागार में निरूद्ध ।**



मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त संगठित अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करते हुए चिन्हित गैंग लीडर एवं स्मैक माफिया "नदीम उर्फ मुन्ना" पुत्र शकील निवासी मो० अंसारी वार्ड नं०- 11 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली स्मैक जैसे घातक मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त होने के कारण पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत जिला कारागार बरेली में निरूद्ध किया गया। इस वर्ष अभियुक्त नदीम उर्फ मुन्ना के विरूद्ध थाना फतेहगंज पश्चिमी पर मु०अ०सं० 30/2024 धारा 8/21/29/61 एन०डी०पी०एस०एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में नदीम उर्फ मुन्ना दिनांक 17.01.2024 को जेल गया था। अभियुक्त नदीम उर्फ मुन्ना मादक पदार्थ की व्यापक तस्करी में वर्ष 2021 से लिप्त है और तभी से लगातार स्मैक तस्करी में संलिप्त चल रहा था। भविष्य में भी इस स्मैक माफिया अपराधी के निरंतर रूप से सक्रिय रहने की सम्भावना के दृष्टिगत अभियुक्त नदीम उर्फ मुन्ना को जेल में ही निरूद्ध रखने हेतु बरेली पुलिस द्वारा "दि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रेफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्राफिक सब्सटेन्सेज एक्ट-1988 (पिट एन०डी०पी०एस० एक्ट) की धारा 3 (1) के अंतर्गत शासन को प्रेषित की गई। सम्पूर्ण प्रकरण में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करायी गई।

जनपदीय पुलिस द्वारा प्रकरण में की गई प्रभावी पैरवी के कारण शासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अभियुक्त नदीम उर्फ मुन्ना पुत्र शकील निवासी मो० अंसारी वार्ड नं०-11 कस्बा व थाना फतेहगंज पश्चिमी, बरेली को "दि प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रेफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्राफिक सब्सटेन्सेज एक्ट-1988 (पिट एन०डी०पी०एस० एक्ट) की धारा 3(1) के अधीन जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों दिनांक 17.01.2024 को स्मैक तस्कर माफिया नदीम उर्फ मुन्ना को उसके भाई के साथ **04 किलो 82 ग्राम अवैध स्मैक, पावर पाउडर 01 किलो 800 ग्राम व 12 किलो 200 ग्राम कट पाउडर (अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 05 करोड़ 01 लाख 34 हजार रुपये )** के साथ पकड़ा गया था । पूर्व में भी यह अपराधी मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है। चिन्हित माफिया नदीम उर्फ मुन्ना जनपद बरेली के थाना फतेहगंज पश्चिमी का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर (7B) है। **नदीम उर्फ मुन्ना के अलावा पिछले दिनों नन्हे लंगड़ा उर्फ रियासत व शाहिद उर्फ कल्लू उर्फ कलुआ के विरूद्ध भी पिट एनडीपीएस की कार्यवाही की गयी है।**

अभियुक्त नदीम उर्फ मुन्ना का आपराधिक इतिहास निम्नवत है:-

#### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

- 1-मु०अ०सं०-348/21 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।
- 2-मु०अ०सं०-370/21 धारा 8/21/29/61 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।
- 3-मु०अ०सं०-387/21 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना मीरगंज जनपद बरेली।
- 4-मु०अ०सं०-244/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।
- 5-मु०अ०सं०-30/24 धारा 8/21/29/61 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।